



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 25 मार्च, 2021

चैत्र 4, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-6

संख्या 394 पी/छ:-पु0-6-2021-01विविध-2020

लखनऊ, 25 मार्च, 2021

अधिसूचना

प0आ0-90

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल यह घोषणा करती हैं कि कानपुर (नगर) और वाराणसी (नगर) पुलिस जिलों के क्षेत्र, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किया जाने के दिनांक से महानगरीय क्षेत्र होंगे।

आज्ञा से,

अवनीश कुमार अवरस्थी,

अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 394 P /Vi-Pu.-6-2021- 01Vividh-2020, dated March 25, 2021:

No. 394 P /Vi-Pu.-6-2021- 01Vividh-2020

Dated Lucknow, March 25, 2021

In exercise of powers conferred under section 8 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974), the Governor is pleased to declare that the areas of Kanpur (Nagar) and Varanasi (Nagar) Police Districts Shall be Metropolitan Areas, from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

By order,
AWANISH KUMAR AWASTHI,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 826 राजपत्र-2021-(1741)-599 प्रतियां-(क0 / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 13 सा0 गृह (पुलिस)-2021-(1742)-190 प्रतियां-(क0 / टी0 / ऑफसेट)।